न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 78 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 244

अनवान

1. नारायणलाल पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वरलाल पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हीरालाल पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. श्यामुड़ी पत्नि मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. गणपतलाल पिता सोहनलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता शिवलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–04.09.2025

1. प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पालरां पटवार मण्डल पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात खाता संख्या 495 में अंकित आराजी संख्या 534 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2925 / 507 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2923 / 506 रकवा 0.01 है0, आराजी संख्या 532 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2918 / 500 रकबा 0. 15 है0, आराजी संख्या 2919 / 505 रकबा 0.05 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश की है।
2. उक्त वर्णित आराजियात वादीगण के स्वामित्व ही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादी आये दिन वादीगण की उक्त आराजियात पर नाजायज दंखलदाजी करने लग गये, जिससे वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा दिनाक 28–09–2022 को पत्थरगढी

करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 19.05.2023 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वादीया की उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की जाने पर वादीगण की आराजी संख्या 534 रकबा 0.05 है0 की उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 व आराजी संख्या 2925/507 रकबा 0.18 है0 की दक्षिणी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 का अवैध कब्जा पाया गया तथा आराजी संख्या 2923/506 रकबा 0.01 है0 पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 532 रकबा 0.13 है0 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 2918/500 रकबा 0.15 है0 व आराजी संख्या 2919/505 रकबा 0.05 है0 की पूर्वी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 का अवैध कब्जा पाया गया। प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने बाबत् कहा लेकिन टालमबाजी का जवाब देते आ रहे है जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जाना आवश्यक हो गया है जिससे वादीगण को कब्जेयाबी की डिक्री बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

3. अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की बेदखली की डिक्री सादर फरमाई जावे कि ग्राम पालरां में स्थित वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 534 रकबा 0.05 है0 की उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 व आराजी संख्या 2925/507 रकबा 0.18 है0 की दक्षिणी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 तथा आराजी संख्या 2923/506 रकबा 0.01 है0 पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 532 रकबा 0.13 है0 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 2918/500 रकबा 0.15 है0 व आराजी संख्या 2919/505 रकबा 0.05 है0 की पूर्वी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

4. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 15.05.2024 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या 3 औपचारिक पक्षकार है।

5. वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया है जिसको बेदखल करते हुए वादीगण को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

6. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीगण की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 495 में अंकित आराजी संख्या 534, आराजी संख्या 2925/507, आराजी संख्या 2923/506, आराजी संख्या 532, आराजी संख्या 2918/500, आराजी संख्या 2919/505 दर्ज रेकार्ड है। वादीगण की आराजी संख्या 534 रकबा 0.05 है0 की उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 व

सहायक कलक्टर
(एस.जी.ओ.) रायपुर

आराजी संख्या 2925/507 रकबा 0.18 है0 की दक्षिणी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 तथा आराजी संख्या 2923/506 रकबा 0.01 है0 पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 532 रकबा 0.13 है0 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 2918/500 रकबा 0.15 है0 व आराजी संख्या 2919/505 रकबा 0.05 है0 की पूर्वी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीगण लेने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालरां पटवार हल्का पालरां की आराजी संख्या 534 रकबा 0.05 है0 की उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 का आंशिक कब्जा व आराजी संख्या 2925/507 रकबा 0.18 है0 की दक्षिणी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 तथा आराजी संख्या 2923/506 रकबा 0.01 है0 पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 532 रकबा 0.13 है0 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 2918/500 रकबा 0.15 है0 व आराजी संख्या 2919/505 रकबा 0.05 है0 की पूर्वी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 78/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/244

अनवान

1. नारायणलाल पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वरलाल पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हीरालाल पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. श्यामुड़ी पत्नि मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. गणपतलाल पिता सोहनलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता शिवलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालरां पटवार हल्का पालरां की आराजी संख्या 534 रकबा 0.05 है0 की उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 का आंशिक कब्जा व आराजी संख्या 2925/507 रकबा 0.18 है0 की दक्षिणी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 तथा आराजी संख्या 2923/506 रकबा 0.01 है0 पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 532 रकबा 0.13 है0 की उत्तरी पश्चिमी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 2918/500 रकबा 0.15 है0 व आराजी संख्या 2919/505 रकबा 0.05 है0 की पूर्वी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डिक्री आज दिनांक 04.09.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, (भीलवाड़ा)